संख्या- 28 **/2026/I/** 1254358 **/2026/71-1002(002)/13/2021**

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 27 **फरवरी, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़, बाँदा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर एवं बदायूँ हेतु 58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/523, दिनॉक 03.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों के 58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में कुल रू0 4300.00 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-05-105-03- 24-राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़, 26-राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा, 38-राजकीय मेडिकल कालेज आगरा, 39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर, 40-राजकीय मेडिकल कालेज प्रयागराज, 41-राजकीय मेडिकल कालेज मेरठ, 42-राजकीय मेडिकल कालेज झांसी, 43-राजकीय मेडिकल कालेज गोरखपुर एवं 74-राजकीय मेडिकल कालेज बदायूँ के 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल **रू0 3100.00 लाख (रू0 इकतीस करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (निम्नानुसार एवं संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050324 राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050326 (राजकीय मेडिकल कालेज बांदा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050326 राजकीय मेडिकल कालेज बांदा	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
	कुल			**4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050338 (मेडिकल कालेज आगरा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050338 मेडिकल कालेज आगरा	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)
	कुल			**2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु	2,00,00,000 (रुपये दो करोड़

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		कालेज कानपुर	भुगतान	मात्र)
	कुल			**2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050340 (मेडिकल कालेज प्रयागराज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050340 मेडिकल कालेज प्रयागराज	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
	कुल			**4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050341 (मेडिकल कालेज मेरठ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050341 मेडिकल कालेज मेरठ	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
	कुल			**10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050342 (मेडिकल कालेज झांसी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050342 मेडिकल कालेज झांसी	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050343 मेडिकल कालेज गोरखपुर	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष: 2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
I	031	2210051050374 राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**3,00,00,000** **(रुपये तीन करोड़ मात्र)**
महायोग				31,00,00,000 (रुपये इकतीस करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 27-02-2026 18:07:48

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़, बॉदा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर एवं बदायूँ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़, बॉदा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर एवं बदायूँ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़, बॉदा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर एवं बदायूँ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-71-1002-002-13-2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़, बाँदा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर एंव बदायूँ के मानक मद 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में पुनर्विनियोग के माध्यदम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बसन्धस में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

,,,,,,,,,,,,,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050373 (राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ , आगरा, झांसी,गोरखपुर एवं प्रयागराज में ट्रामा केन्द्र का संचालन)	21 (छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन)	18,00,00,000 रुपये अठारह करोड़ मात्र	10,05,00,000 रुपये दस करोड़ पाँच लाख मात्र	10,05,00,000 रुपये दस करोड़ पाँच लाख मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	2025-2026
031	2210051050373 (राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ , आगरा, झांसी,गोरखपुर एवं प्रयागराज में ट्रामा केन्द्र का संचालन)	03 (मंहगाई भत्ता)	5,07,00,000 रुपये पाँच करोड़ सात लाख मात्र	79,00,000 रुपये उनासी लाख मात्र	72,00,000 रुपये बहत्तर लाख मात्र	0 शून्य	5,07,00,000 रुपये पाँच करोड़ सात लाख मात्र	2025-2026
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)	03 (मंहगाई भत्ता)	45,00,00,000 रुपये पैंतालीस करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	42,00,00,000 रुपये बयालीस करोड़ मात्र	2025-2026
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)	41 (भोजन व्यय)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	45,00,000 रुपये पैंतालीस लाख मात्र	0 शून्य	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	2025-2026
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)	21 (छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन)	25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र	4,29,00,000 रुपये चार करोड़ उनतीस लाख मात्र	4,29,00,000 रुपये चार करोड़ उनतीस लाख मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	22,00,00,000 रुपये बाईस करोड़ मात्र	2025-2026
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)	03 (मंहगाई भत्ता)	21,60,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ साठ लाख मात्र	3,44,00,000 रुपये तीन करोड़ चौवालीस लाख मात्र	3,44,00,000 रुपये तीन करोड़ चौवालीस लाख मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	18,60,00,000 रुपये अठारह करोड़ साठ लाख मात्र	2025-2026
031	2210011101508 (सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ)	57 (प्रैक्टिस बन्दी भत्ता)	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	0 शून्य	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 43,00,00,000	₹ 31,00,00,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210011101508 (सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ)	06 (अन्य भत्ते)	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र	9,00,000 रुपये नौ लाख मात्र	0 शून्य	11,00,000 रुपये ग्यारह लाख मात्र	2025-2026
031	2210011101508 (सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ)	03 (मंहगाई भत्ता)	9,28,20,000 रुपये नौ करोड़ अट्ठाईस लाख बीस हजार मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	6,28,20,000 रुपये छह करोड़ अट्ठाईस लाख बीस हजार मात्र	2025-2026
031	2210011101508 (सरदार बल्लभ भाई पटेल शिक्षण चिकित्सालय मेरठ)	01 (वेतन)	15,47,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ सैंतालीस लाख मात्र	6,50,00,000 रुपये छह करोड़ पचास लाख मात्र	6,50,00,000 रुपये छह करोड़ पचास लाख मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	9,47,00,000 रुपये नौ करोड़ सैंतालीस लाख मात्र	2025-2026
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	57 (प्रैक्टिस बन्दी भत्ता)	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	0 शून्य	15,00,000 रुपये पन्द्रह लाख मात्र	2025-2026
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	55 (मकान किराया भत्ता)	1,40,00,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र	34,00,000 रुपये चौंतीस लाख मात्र	34,00,000 रुपये चौंतीस लाख मात्र	0 शून्य	1,40,00,000 रुपये एक करोड़ चालीस लाख मात्र	2025-2026
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	09 (विद्युत देय)	3,33,00,000 रुपये तीन करोड़ तैंतीस लाख मात्र	83,00,000 रुपये तिरासी लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	0 शून्य	3,33,00,000 रुपये तीन करोड़ तैंतीस लाख मात्र	2025-2026
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	03 (मंहगाई भत्ता)	11,77,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ सतहत्तर लाख मात्र	2,65,00,000 रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख मात्र	2,65,00,000 रुपये दो करोड़ पैंसठ लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	9,77,00,000 रुपये नौ करोड़ सतहत्तर लाख मात्र	2025-2026
031	2210011101502 (सरोजनी नायडू चिकित्सालय संबद्ध चिकित्सालय आगरा)	01 (वेतन)	21,95,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ पंचानबे लाख मात्र	5,76,00,000 रुपये पाँच करोड़ छिहत्तर लाख मात्र	5,76,00,000 रुपये पाँच करोड़ छिहत्तर लाख मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	16,95,00,000 रुपये सोलह करोड़ पंचानबे लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 43,00,00,000	₹ 31,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,,,,,,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
031	2210051050374 (राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूं)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	8,50,00,000 रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	11,50,00,000 रुपये ग्यारह करोड़ पचास लाख मात्र	2025-2026
031	2210051050343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर)	58 (आउट सोर्सिंग	32,00,00,000 रुपये बत्तीस करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	33,00,00,000 रुपये तैंतीस करोड़ मात्र	2025-2026
कुल				₹ 43,00,00,000	₹ 31,00,00,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
		सेवाओं हेतु भुगतान)					
031	2210051050342 (मेडिकल कालेज झांसी)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	22,00,00,000 रुपये बाईस करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	25,00,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ मात्र	2025-2026
031	2210051050341 (मेडिकल कालेज मेरठ)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	32,00,00,000 रुपये बत्तीस करोड़ मात्र	14,00,00,000 रुपये चौदह करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	42,00,00,000 रुपये बयालीस करोड़ मात्र	2025-2026
031	2210051050340 (मेडिकल कालेज प्रयागराज)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	25,50,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ पचास लाख मात्र	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	29,50,00,000 रुपये उनतीस करोड़ पचास लाख मात्र	2025-2026
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	19,00,00,000 रुपये उन्नीस करोड़ मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	21,00,00,000 रुपये इक्कीस करोड़ मात्र	2025-2026
031	2210051050338 (मेडिकल कालेज आगरा)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	17,00,00,000 रुपये सत्रह करोड़ मात्र	3,00,00,000 रुपये तीन करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	19,00,00,000 रुपये उन्नीस करोड़ मात्र	2025-2026
031	2210051050326 (राजकीय मेडिकल कालेज बांदा)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	13,00,00,000 रुपये तेरह करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पाँच करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	17,00,00,000 रुपये सत्रह करोड़ मात्र	2025-2026
031	2210051050324 (राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ)	58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	7,70,00,000 रुपये सात करोड़ सत्तर लाख मात्र	3,50,00,000 रुपये तीन करोड़ पचास लाख मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	9,70,00,000 रुपये नौ करोड़ सत्तर लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 43,00,00,000	₹ 31,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा ने अपने पत्र दिनांक 10.10.2025 द्वारा एस०एन० चिकित्सालय, आगरा में विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत रू0 940.00 लाख, प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, मेरठ ने अपने पत्र दिनांक 29.01.2026 द्वारा विभिन्न मानक मदों में रू0 1065.00 लाख, प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आजमगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 29.01.2026 द्वारा विभिन्न मानक मदों में रू0 818.00 लाख, प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर ने अपने पत्र दिनांक 28.01.2026 द्वारा मानक मद-03-महँगाई भत्ता में रू० 400.00 लाख तथा राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झाँसी, गोरखपुर एवं प्रयागराज में ट्रामा सेन्टर के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में रू0 1077.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 4300.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, प्रयागराज, गोरखपुर, बाँदा, बदायूँ, आजमगढ तथा कानपुर ने अपने विभिन्न दिनांकित पत्रों के माध्यन से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानक मद-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में क्रमशः मेडिकल कालेज, आजमगढ हेतु रू0 350.00 लाख, मेडिकल कालेज, बाँदा हेतु रू0 500.00 लाख, मेडिकल कालेज, आगरा हेतु रू0 300.00 लाख, मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु रू0 250.00 लाख, मेडिकल कालेज, प्रयागराज हेतु रू0 600.00 लाख, मेडिकल कालेज, मेरठ हेतु रु० 1400.00 लाख, मेडिकल कालेज, झाँसी हेतु रू० 400.00 लाख, मेडिकल कालेज, गोरखपुर हेतु रू० 100.00 लाख तथा मेडिकल कालेज, बदायूँ हेतु रू0 400.00 लाख, इस प्रकार कुल रू0 4300.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जानी है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-386-E-3-316-X-2025-26-दिनांक: 27-02-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)
उप सचिव।

संख्या : / , दिनांक- फरवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्साव शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़, बाँदा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर एंव बदायूँ
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।